



20/12/2022

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	उगमाराम पुत्र नानूराम गोपालपुरा वगैरह	
राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर		
किस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957		
प्रार्थना-पत्र नम्बर 195/2022		GCMS No. 2022/ 408
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.12.2022	<p>राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली दिनांक 22/12/2022 को वास्ते सुनवाई/उचित आदेशार्थ पेश हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी ( नागौर )</p>	
22/12/2022	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। जमांबदी अनुसार भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है, प्रश्नगत भूमि नक्शा ट्रेस नकल अनुसार रास्ते पर है, इसलिए रास्ता का अनुतोष नहीं दिया जा सकता तथा कोई युक्तियुक्त कारण भी संबंधित पटवारी हल्का दीपपुरा, नि.भू.अ. पांचवा, तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा नहीं बताया गया है, प्रार्थना-पत्र काबिल खारिज है। अतः प्रार्थना-पत्र सहमति के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी ( नागौर )</p>	

